


2



न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर

निग 3174/PB/15

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक 3174/15  
श्रवण दिनांक

1. राजेन्द्रसिंह आयु लगभग 55 वर्ष पिता रामसिंग निवासी शिकारपुरा बुरहानपुर जिला बुरहानपुर म.प्र.

- पुनरीक्षणकर्ता

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश राज्य शासन द्वारा श्रीमान राजस्व निरीक्षक नजूल बुरहानपुर म.प्र.
2. भोला पिता कालूराम निवासी प्रतापपुरा बुरहानपुर म.प्र.

- उत्तरदातागण

पुनरीक्षण मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत

पुनरीक्षणकर्ता निम्नलिखित निवेदन करता है :-

पुनरीक्षणकर्ता अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 3 अ 68/2014-15 पक्षकार " मध्यप्रदेश शासन विरुद्ध राजेन्द्रसिंह" में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25.8.2015 से पीड़ित एवं दुःखी होकर यह पुनरीक्षण याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत करता है :-

*(Handwritten signature)*

दिनांक 23 9 15  
को को राजस्व 2 धु वंशी  
काम 527 धु नुतल

कूल  
23 9 15  
50

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
<p>6.10.2015</p>	<p>आवेदक की ओर से श्री राजीव रघुवंशी अभिभावक उपाधित। श्राव्यता पर सुना गया। तहसीलदार के आदेश दिनांक 25.8.15 का अवकाश दिया गया। शासन की ओर से श्री अमिष कुमार श्रीवास्तव अभिभावक उपाधित। सुना गया।</p> <p>2/ तहसीलदार द्वारा यह रिस्क बर्न निष्कासने हुये कि NMS की लास्य से रास्ता प्रमाणित होगा, NMS की लास्य हेतु प्रमाण नियत किया गया है, जिसमें प्रथम दृष्टया कोई अवधारणता परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप नियतनी अग्रद्वार की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">अध्यक्ष</p>	<p style="text-align: right;"> <u>अमिष</u>          6/10/2015          तहसीलदार काठमा          पेशवापुरा       </p>

अ/स